



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 2014/ ज्येष्ठ 14, 1936

No. 295]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 2014/JYAISTHA 14, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2014

सा.का.नि. 376(अ).—केंद्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि रेलयान्त्री डिब्बों या स्टेशन क्षेत्र या स्टेशन क्षेत्र में रेल पटरी में जलप्रवाह द्वारा स्वच्छता शौचालयों की सफाई में लगे किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात् :—

(क) संरक्षण साज सामान जैसे—

- (i) जल संरक्षित एप्रन सहित वर्दी;
- (ii) फेस मास्क या नोज मास्क ;
- (iii) दस्ताने ; और
- (iv) बूट ।

(ख) युक्ति जैसे—

- (i) लम्बे हत्थे वाली झाड़ ;
- (ii) टायलेट कमोड ब्रश या डिब्बों में प्रयुक्त टायलेटों की चोकिंग को दूर करने के लिए कोई उपस्कर या ऐसे प्रयोजनों के लिए रेल विभाग द्वारा पहचान किया गया कोई अन्य यांत्रिक उपस्कर।

[फा. सं. 2014/ई(एलएल)/एससीए/1]

रागिनी येचुरी, कार्यकारी निदेशक (आईआर)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2014

G.S.R. 376(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 36 read with clause (e) of sub-section (1) of Section 2 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby notifies that any person engaged to clean water flush sanitary latrines in railway passenger coaches or station area or railway tracks in station area shall be provided the following namely:—

A. Protective gear such as—

- (i) the uniform along with water protective Apron;
- (ii) the face mask or nose mask;
- (iii) the Gloves; and
- (iv) the Boots.

B. Devices such as—

- (i) the broom with long handle;
- (ii) the toilet commode brush or any equipment for removal of choking of toilets used in coaches or any other mechanized equipment identified by Railways for such purpose.

[F. No. 2014/E(LL)/SCA/1]

RAGINI YECHURY, Executive Director (IR)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2014

सा.का.नि. 377(अ).—केंद्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि,—

“रेल प्राधिकरण” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (क) क्रमिक प्रभागों और प्रभागीय अधिकारिता में आने वाले संस्थानों, कार्यशालाओं, शेडों, आदि की अधिकारिता वाला अपर प्रभागीय रेल प्रबंधक ;
- (ख) क्रमिक उत्पादन इकाइयों या अनुसंधान डिजाइनों और मानक संगठन की अधिकारिता में स्वच्छता रखने वाले विभाग का ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी।

[फा. सं. 2014/ई(एलएल)/एससीए/1]

रागिनी येचुरी, कार्यकारी निदेशक (आईआर)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2014

G.S.R. 377(E).—In exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (1) of Section 2 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby notifies that—

“railway authority” means—

- (a) the Additional Divisional Railway Manager of the jurisdiction of respective Divisions and for Institutes, Workshops, Sheds etc. falling in Division's jurisdiction;
- (b) the Senior Administration Grade or Junior Administration Grade Officer of the Department maintaining the sanitation in the jurisdiction of respective Production Units or Research Designs and Standard Organisation.

[F. No. 2014/E(LL)/SCA/1]

RAGINI YECHURY, Executive Director (IR)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2014

सा.का.नि. 378(अ).—केंद्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जहाँ कहीं स्वच्छता को मानीटर करने का कर्तव्य सौंपा गया है वहाँ स्वास्थ्य या वाणिज्यिक निरीक्षकों की नियुक्ति करती है और उनकी अधिकारिता के भीतर उनमें ऐसी शक्तियाँ निहित करती है जो क्रमिक उत्पादन इकाइयों या अनुसंधान डिजाइनों और मानक संगठन की अधिकारिता के लिए स्वच्छता रखने वाले विभाग के प्रभाग में अपर प्रभागीय रेल प्रबंधक और ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

[फा.सं.2014/ई(एलएल)/एससीए/1]

रागिनी येचुरी, कार्यकारी निदेशक (आईआर)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2014

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby appoints the Health or Commercial Inspectors, wherever assigned the duties of monitoring cleanliness, are hereby vested with the powers, within their jurisdiction, which shall be decided by the Officer nominated by the Additional Divisional Railway Manager in the Division and the Senior Administrative Grade or Junior Administrative Grade Officer of the Department maintaining the sanitation for the jurisdiction of respective Production Units or Research Designs and Standards Organization respectively.

[F. No. 2014/E(LL)/SCA/1]

RAGINI YECHURY, Executive Director (IR)